एम. एम. कुमार और जीतेन्द्र चौहान,नयायाधिपती के सामने

डॉ. सुरेश कुमार मंगल और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी.नं. 2006 का 20173

13 जनवरी 2009

भारत का संविधान, 1950-*अनुच्छेद* 226—*हरियाणा सिविल मेडिकल (ग्रुप ए) सेवा नियम*, 1981—*आरआई.* 11—*राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक* 24 *नवंबर*, 1962—*एचसीएम के सदस्यों की वरिष्ठता (समूह ए) सेवा - आरआई.*11 *के प्रावधान प्रदान करते हैं कि परस्पर वरिष्ठता सेवा की निरंतर अवधि के सिद्धांत के आधार पर निर्धारित की जानी आवश्यक है -* 24 *नवंबर*, 1962 *के निर्देश प्रदान करते हैं कि सीधी भर्ती के संबंध में अनुशंसा की तारीख को उनकी पारस्परिक वरिष्ठता तय करने के लिए निर्धारक तिथि माना जाएगा। - क्या सेवा के किसी सदस्य की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए निर्देशों को आधार बनाया जा सकता है – निर्धारित किया*, *नहीं - एक बार शक्तियों के अनुसरण में संविधान के अनुच्छेद* 309 *के प्रावधान के तहत नियम बन जाने के बाद उसी विषय पर निर्देश लागू नहीं होंगे - अनुशंसा की तारीख का मानदंड बनने से कोई संबंध नहीं हो सकता है- आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि से धारणीय नहीं है और इसे नियमों के नियम 11 के दायरे से बाहर घोषित किया गया है।*

निर्धारित किया गया कि नियम 11 के मात्र अवलोकन से पता चलेगा कि सेवा के सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता सेवा की निरंतर अवधि के सिद्धांत के आधार पर निर्धारित की जानी आवश्यक है। नियम के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि सीधी भर्ती की वरिष्ठता निर्धारित करने के सिद्धांत के रूप में लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सिफारिश/ अनुशंसा की तारीख को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा

निर्धारित योग्यता क्रम को अंतिम माना जाएगा। इसलिए, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, नियमों के नियम 11 में निर्धारित सेवा की निरंतर लंबाई का सिद्धांत वरिष्ठता के निर्धारण के लिए एक मार्गदर्शक कारक होना चाहिए। यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार शक्तियों के अनुसरण में संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत नियम तैयार किए गए हैं, तो उसी विषय पर निर्देश लागू नहीं होगा।

(पैरा6)

आगे निर्धारित किया गया ,कि निर्देशों का केवल एक ही उद्देश्य है कि सीधी भर्ती की बैच वरिष्ठता निर्धारित की जाए, अर्थात् उनकी सिफारिश/ अनुशंसा की तारीख वह तारीख होगी जो निर्धारक सिद्धांतों के रूप में मीट के क्रम को रोककर उनकी परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करेगी। हालाँकि, 24 नवंबर, 1962 के निर्देशों को सेवा के किसी सदस्य की वरिष्ठता निर्धारित करने का आधार नहीं बनाया जा सका, जिसमें पदोन्नत व्यक्ति भी शामिल हैं। अन्यथा भी लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा की तारीख का वरिष्ठता निर्धारित करने के मानदंड बनने से कोई संबंध नहीं हो सकता है, इसलिए, आक्षेपित आदेश दिनांक 1 दिसंबर, 2006 कानून की दृष्टि से धारणीय नहीं है और इसे नियमों के नियम 11 के दायरे से बाहर घोषित किया गया है।

आर.के. मलिक, सीनियर. अधिवक्ता और यशदीप सिंह, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए।

हरीश राठी, डी.ए.जी., हरियाणा, सीनियर राज्य के लिए ।

आर.एन. लोहान, प्रतिवादि नं. 9, 13 और 24 के वकील।

सुनील पंवार, प्रतिवादी नं. 10, 11 एवं 20 के लिए वकील।

एम.एम. कुमार, नयायाधिपती .

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पदोन्नत लोगों द्वारा दायर इस याचिका में उठाया गया कानून का एक संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या

हरियाणा सिविल मेडिकल (ग्रुप-ए) सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता को हरियाणा सिविल मेडिकल (ग्रुप-ए) सेवा नियम 1981 (संक्षिप्तता के लिए "नियम") के नियम 11 के प्रावधान के अनुसार सेवा अवधि के सिद्धांत पर की जानी या दिनांक 24 नवंबर, 1962 के अनुदेश द्वारा जो प्रावधान करता है कि लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के संबंध में सिफारिश/अनुशंसा की तारीख को उनकी परस्पर वरिष्ठता तय करने के लिए निर्धारक तिथि माना जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय आयुक्त और प्रमुख सचिव द्वारा पारित आदेश दिनांक 1 दिसंबर, 2006 (पी -15) को रद्द कर दिया जाए जो कि दिनांक 24 नवंबर 1962 के निर्देशानुसार हरियाणा लोक सेवा की सिफारिश/अनुशंसा की तारीख से वरिष्ठता निर्धारित करने के सिद्धांत का पालन करना चाहता है।

(2) तथ्य किसी भी विवाद से परे हैं। याचिकाकर्ताओं को 21 जून 1996 को चिकित्सा अधिकारी (पी-1) के पद से कक्षा: I जिसे सेवा में एच.सी.एम.एस. (ग्रुप-ए) के नाम से जाना जाता है ,के रूप में पदोन्नत किया गया था। सेवा में सीधी भर्ती वाले निजी उत्तरदाताओं को 20 जून, 1996 को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था। हालाँकि, उन सभी को सेवा में बहुत बाद में नियुक्त किया गया था। एक निजी प्रतिवादी को एक नियुक्ति पत्र रिकॉर्ड (पी-2) पर रखा गया है, जो 13 जुलाई, 1996 का है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि निजी प्रतिवादी को उनकी पदोन्नति की तारीख के बाद नियुक्त किया गया है, इसलिए वे सेवा की निरंतर अवधि के रूप में नियमों के नियम 11 में निर्धारित सिद्धांत के तहत उनसे वरिष्ठ होंगे। समय-समय पर जारी सभी वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ताओं को हमेशा निजी उत्तरदाताओं से वरिष्ठ दिखाया गया है। उस संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने 1 सितंबर, 1997, 1 जून, 2000 और

1 सितंबर, 2003 (पी-3 से पी-5) की वरिष्ठता सूची पर भरोसा किया है। वरिष्ठता सूची नियमावली के नियम 11 के आधार पर तैयार की गई है। वरिष्ठता सूची का भी पालन किया गया है क्योंकि निजी उत्तरदाताओं से वरिष्ठ होने के कारण कई पदोन्नत लोगों को आगे पदोन्नत किया गया था या सिविल सर्जन, पी.एम.ओ. उप निदेशक के पद का प्रभार दिया गया था।

(3) याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि निजी प्रतिवादी संख्या 20 ने एकदीवानी मुकदमा दायर किया था जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि वह सीधी भर्ती होने के कारण पदोन्नत लोगों से वरिष्ठ पद पाने का हकदार है। सिविल कोर्ट ने 16 अगस्त 2003 को डिक्री पारित कर उन्हें प्रोन्नति से वरिष्ठ घोषित कर दिया। यहां तक कि प्रतिवादी-राज्य द्वारा दायर की गई पहली अपील भी विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दी और अपने आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2004 द्वारा सिविल जज की डिक्री(पी-10) को कायम रखा । पदोन्नत कोटे से संबंधित कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई आगे की अपील पर, इस न्यायालय ने निजी प्रतिवादी संख्या 20 की प्रार्थना को स्वीकार कर लि और मुकदमे को वापस लिया माँ कर खारिज करने की अनुमति दी ताकि उन याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को प्रभावित न किया जाए जो इस न्यायालय के समक्ष 2004 के आर एस ए नं 4156(पी-11) मे अपीलकर्ता थे, जिसका निर्णय 6 जुलाई 2006 को हुआ । हालाँकि, प्रतिवादी-राज्य को उन सभी को पर्याप्त अवसर प्रदान करके सेवा से संबंधित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की वरिष्ठता को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद 24 अगस्त, 2006 को एक अस्थायी वरिष्ठता सूची(पी-12) प्रसारित की गई और 8 सितंबर, 2006 तक आपत्तियां दाखिल करने के लिए आमंत्रित किया गया।

याचिकाकर्ताओं ने 2006 का सीडब्ल्यूपी नंबर 13976 (पी-13) दायर किया, जिसका 8 सितंबर को निपटारा कर दिया गया। सितंबर, 2006 में आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 13 सितंबर, 2006 तक बढ़ा दी गई और रिट याचिका का निपटारा 8 सितंबर, 2006 को कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने तब सेवा की निरंतर अवधि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करने के मुद्दे को सामने लाते हुए आपत्तियां दायर कीं। नियमों के नियम 11 (पी-14) के अनुसार और इस आधार पर खुद को निजी उत्तरदाताओं से वरिष्ठ होने का दावा किया। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय आयुक्त और प्रधान सचिव ने 1 दिसंबर, 2006 को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि वरिष्ठता का निर्धारण 24 नवंबर 1962 के निर्देशों (पी-16) में निर्धारित सिद्धांत के आधार पर किया जाना है कि सीधी भर्ती के संबंध में वरिष्ठता की गणना लोक सेवा आयोग की अनुशंसा की तिथि से की जायेगी।

(4) प्रतिवादी-राज्य ने लिखित बयान दाखिल किया है। व्यापक तथ्यों को स्वीकार किया गया है लेकिन इसमें 24 नवंबर, 1962 (पी-16) के निर्देशों में निर्धारित सिद्धांत पर वरिष्ठता के निर्धारण का बचाव करने का प्रयास किया गया है। लिखित बयान के पैरा 6 में यह भी कहा गया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता में गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए और वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा की तिथि से तय की जानी चाहिए और आपत्तियों को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।

(5) हमने पक्षों के विद्वान वकील सुने हैं।

(6) मूल सिद्धांत जिसके लिए तत्काल मामले में निर्धारण की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या 24 नवंबर, 1962 के निर्देश वर्ष 1981 में नियमों द्वारा विषय वस्तु पर कब्जा कर लेने के बाद भी लागू रहेंगे, जो संविधान

का अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए थे। नियमों का नियम 11 जो इस मामले में उठाए गए विवाद का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है: -

"**नियम 11.-** सेवा के सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर निरंतर सेवा की लंबाई से निर्धारित की जाएगी।

बशर्ते कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, वरिष्ठता तय करने में आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम में गड़बड़ी नहीं की जाएगी।

(ए) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;

(बी) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा; और

(सी) पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, वरिष्ठता ऐसे सदस्यों की उन नियुक्तियों में वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित की जाएगी जहां से उन्हें पदोन्नत या स्थानांतरित किया गया था;

(डी) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, उनकी वरिष्ठता वेतन के अनुसार निर्धारित की जाएगी, उस सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी, जो अपनी पिछली नियुक्ति में उच्च वेतन दर प्राप्त कर रहा था और यदि आहरित वेतन की दरें भी समान हैं वही,फिर नियुक्तियों में उनकी सेवा की अवधि के अनुसार, और यदि ऐसी सेवा की अवधि भी समान है, तो बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से वरिष्ठ होगा।

(7) नियम का अवलोकन करने से पता चलेगा कि सेवा के परस्पर सदस्यों का निर्धारण सेवा की निरंतर अवधि के सिद्धांत के आधार पर आवश्यक

है । नियम के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा की तिथि को सीधी भर्ती वालों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एक सिद्धांत के रूप में कोई महत्व नहीं दिया जाना है। सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम को अंतिम माना जाएगा। इसलिए सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए नियमों के नियम 11 के तहत वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सेवा की निरंतर लंबाई का सिद्धांत एक मार्गदर्शक कारक होना चाहिए। यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार शक्तियों के अनुसरण में संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत नियम तैयार किए गए हैं, तब उसी विषय पर निर्देश लागू नहीं होगा जैसा कि ***भारत संघ बनाम मद्रास टेलीफोन एस.सी. और एस.टी. समाज कल्याण***[1] के मामले में माना गया है। ***के.के. परमार बनाम गुजरात उच्च न्यायालय***[2] के मामले में भी यही सिद्धांत निर्धारित किये गये थे। । कानून के यह सभी सिद्धांत 1967 से इतनी अच्छी तरह से स्थापित हैं जब संविधान पीठ ने ***संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य***[3] के मामले में कानून निर्धारित किया था, कि किसी भी संदेह पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(8) निर्देशों का केवल एक ही उद्देश्य है सीधी भर्ती बैच की वरिष्ठता का निर्धारण करना, अर्थात् उनकी सिफारिश/अनुशंसा की तारीख वह तारीख होगी जो निर्धारक सिद्धांतों के रूप में योग्यता के क्रम को रोककर उनकी परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करेगी। हालाँकि, 24 नवंबर, 1962 के निर्देशों को सेवा के किसी सदस्य की वरिष्ठता निर्धारित करने का आधार नहीं बनाया जा सका, जिसमें पदोन्नत व्यक्ति भी शामिल हैं। अन्यथा भी लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा की तारीख का वरिष्ठता निर्धारित करने के मानदंड बनने से कोई संबंध नहीं हो सकता है, इसलिए दिनांक 1 दिसंबर,

---

[1] (2000)9 एस.सी.सी. 71

[2](2006) 5 एस.सी.सी. 789

[3] एआईआर 1967 एस.सी. 1910

2006 का आक्षेपित आदेश (पी-15) कानून की दृष्टि से धारणीय नहीं है और इसे नियमों के नियम 11 के दायरे से बाहर घोषित किया जाता है।

(9) ऊपर दिए गए सभी कारणों से, तत्काल याचिका सफल होती है। 1 दिसंबर 2006 का आदेश (पी-15) रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता निरंतर सेवा अवधि के आधार पर निजी उत्तरदाताओं से वरिष्ठ होने के पात्र हैं और उन्हें उनसे वरिष्ठ घोषित किया जाता है। हम उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 को निर्देश देते हैं कि वे याचिकाकर्ताओं को सेवा की निरंतर अवधि के आधार पर निजी उत्तरदाताओं से वरिष्ठ मानते हुए प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर्स / सिविल सर्जन / डिप्टी डायरेक्टर्स (सीनियर स्केल) के अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विचार करें। इस आदेश की कॉपी प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा

डॉ. सुरेश कुमार मंगल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (एम.एम. कुमार, नयायाधिपती)